उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना

(Uttarakhand Climate Responsive Rainfed Farming Project)

हमारी योजना हमारी भागीदारी



अनुक्रमणिका

पृष्ठ	विवरण
2 – 13	समुदाय और भागीदारी
14 – 25	लैंगिक समानता
26 – 36	आर्थिक वर्गीकरण
37 – 49	शिकायत प्रणाली
50 – 65	पानी का संग्रहण और दक्षतापूर्ण उपयोग

परिचय

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ग्राम समुदाय की सक्रिय सहभागिता आवश्यक होती है। ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा योजनाबद्ध और क्रियान्वित गतिविधियों के कारण जलागम विकास राज्य में ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा बन गया है। जलागम निदेशालय द्वारा संचालित परियोजनाएं मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र के लिए भूमि और जल संरक्षण पर केंद्रित हैं।

अब तक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय ने 10 वाह्य सहायतित परियोजनाओं का संचालन किया है। पूर्व परियोजना 'उत्तराखण्ड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना-II (ग्राम्य)' को विश्व बैंक द्वारा 'अति संतोषप्रद' श्रेणी में रखा गया था । इस अनुभव के आधार पर नवीन परियोजना 'उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना (UCRRFP)' की शुरूआत की गयी है । इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक तथा ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण हेतु सक्षम बनाने के लिए सुदृढ़ उत्पादन प्रणाली विकसित करना है।

जलागम आया अपने गाँव

(समुदाय और भागीदारी)

(आईये ! हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की मदद करें, प्यार दिखाएं और अच्छा करें एक समुदाय के रूप में इकठ्ठा होना ना भूलें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, क्यूंकि एकता में ही बल है| किसी भी निर्णय में सामाजिक सहभागिता को समावेशित करें |

आज गाँव में जलागम विभाग के कार्यकर्ता सर्वे करने आए है, प्रधान बुलंद सिंह उन्हें मंगलेश की चाय की दुकान में बिठाते ही हैं तभी, सुजान चाय की दुकान पर पहुँच जाता है। सुजान का जिज्ञासु व्यवहार उसे आखिरकार गाँव में चल क्या रहा है? यह जानकारी लेने को मजबूर कर ही देता है।




सबको मेरा नमस्कार।
नमस्कार...
प्रधान जी, यह कैसा सर्वे है ?
सुजान हमारे गाँव में जलागम विभाग की परियोजना आयी है, जिसका नाम उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना है। इसे हम यू.सी.आर.आर.एफ .पी.(UCRRFP) नाम से भी जानेंगे।
अच्छा तो कब तक चलेगी यह परियोजना?
यह परियोजना आपके गाँव में 4 से 5 वर्ष तक चलेगी।
यह तो बहुत ही अच्छी बात बतायी आपने। पर यह सर्वे क्यूँ?
यह सर्वे ग्राम स्तर की योजना हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है।







(प्रधान, कार्यकर्ता और सुजान फिर गाँव की ओर निकल पड़ते है।)

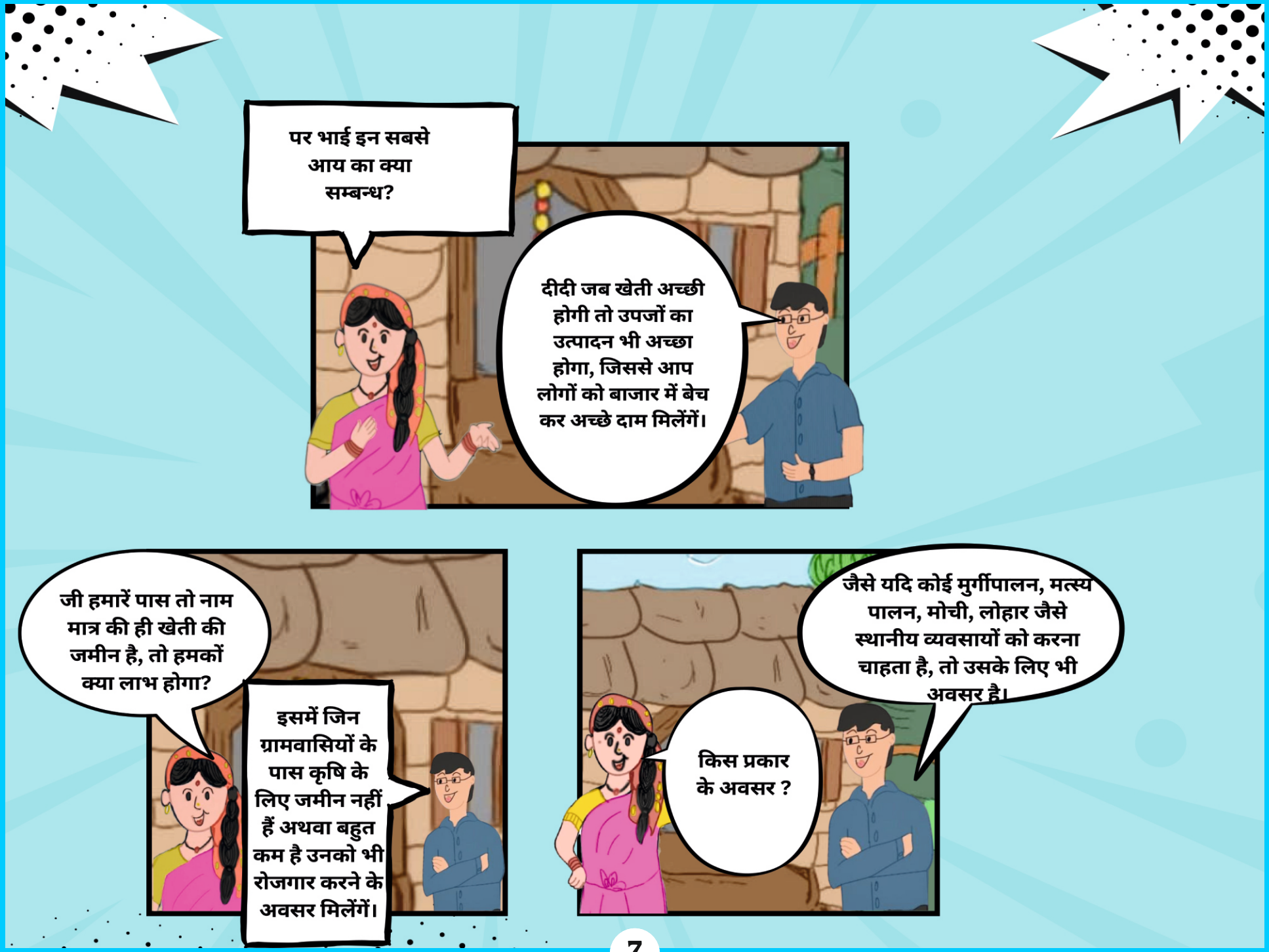


(सभी आपस में एक दूसरे को देखकर ठहाका लगाते है व कार्यकर्ता और सुजान, सुजान के घर की तरफ निकल पड़ते है |)

(सुजान अपने घर पहुंचकर)






पर भाई इन सबसे आय का क्या सम्बन्ध?
दीदी जब खेती अच्छी होगी तो उपजों का उत्पादन भी अच्छा होगा, जिससे आप लोगों को बाजार में बेच कर अच्छे दाम मिलेंगें।
जी हमारें पास तो नाम मात्र की ही खेती की जमीन है, तो हमकों क्या लाभ होगा?
इसमें जिन ग्रामवासियों के पास कृषि के लिए जमीन नहीं हैं अथवा बहुत कम है उनको भी रोजगार करने के अवसर मिलेंगें।
किस प्रकार के अवसर ?
जैसे यदि कोई मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मोची, लोहार जैसे स्थानीय व्यवसायों को करना चाहता है, तो उसके लिए भी अवसर है।


बहुत अच्छी बात है सर जी यह तो ! क्या इसमें सभी लोगों को लाभ मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह परियोजना गाँव के कुछ ही लोगों तक पहुँच पायेगी?
नही दीदी ! इसमें गाँव के प्रत्येक परिवार को प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा, जिससे सभी परिवारों को लाभ मिल सके।
तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें प्रतिभाग करने के लिए?
आपकों अपने गाँव की विकास योजना बनाने, कार्यों का क्रियान्वयन करने, देख - रेख आदि सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा।
भईयाँ! हम लोग थोड़े ही इतने पढ़े-लिखे है कि अपनी गॉव की योजना बना डाले।
आप घबराईयें नही! प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार योजना बनाने व संचालन में प्रतिभाग करेगा और उसी तरह कार्यों व जिम्मेदारियों को बॉटा जायेगा।


लेकिन आप कैसे किसी व्यक्ति की क्षमता को जॉचेगें ?
देखियें आपके ही गॉव की ग्राम पंचायत व अन्य समूहों में पहले से ही कार्य कर रहे लोगों को, जिनकों यह काम करने का अनुभव है, उनका सहयोग इसमें लिया जायेगा।
अच्छा यह तो बहुत सही निर्णय है कि, गाँव की विकास योजना गाँव के लोग ही बनायेंगे।
इतना ही नहीं! इस परियोजना के लिए गाँव में कुछ समितियां व समूह गठित किये जायेंगे तथा पहले से मौजूद समितियों के साथ मिलकर भी कार्य किये जायेगें।
कैसी समितियां?
समितियां जैसे जल एवं जलागम समिति, राजस्व ग्राम समिति, वन पंचायत, इच्छुक कृषक समूह,कृषक संघ, उपयोगकर्ता समूह एवं निर्बल वर्ग समूह।
जल एवं जलागम समिति में कौन लोग शामिल होगें?
इस समिति में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत के समस्त वार्ड सदस्य होगें।
और बाकी की समितियों में?


अन्य समितियाँ जैसे राजस्व ग्राम समिति प्रत्येक राजस्व ग्राम में गठित होगी, वन पंचायत गाँव में पूर्व से ही मौजूद होगी जिनके साथ मिलकर कार्य किया जायेगा|
और समूहों की क्या आवश्यकता होगी?
समूहो के माध्यम से कृषकों एवं निर्बल परिवारों की आमदनी बढ़ाने हेतु कार्य किया जा सकेगा ।
हम महिलाओं की आवश्यकताओं की बातें होगी या नहीं ?
यह तो बहुत ही अच्छी बात बताई भाईजी आपने, ऐसा लग रहा है कि यह परियोजना काफी बड़ी है, जिसमें हम सभी के लिए इसमें कुछ न कुछ करने को होगा|
महिलाओं के मुददों को ग्राम की योजना में शामिल करने के लिए कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व महिला आम सभा का प्रावधान है ।
हॉ बिल्कुल ! लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब आप इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करें|
आप चिंता ना करें, मैं तो इसमें पूरी तरह से प्रतिभाग करूँगी और दूसरें लोगों को भी इसमें प्रतिभाग करने के लिए कहूँगी ।

(कार्यकर्ता सुजान के घर से निकल कर सामने से आती हुई एक बुजुर्ग महिला को रोकते हुए)





अरें माता जी! आपके गाँव में इतनी बड़ी परियोजना आयी है।
इस परियोजना में आप सभी ग्रामीणों की सहभागिता बहुत जरूरी है।


बेटा, मेरा बेटा कहीं गाँव से बाहर गया है, जब वह आयेगा तो वो आ जायेगा।
माता जी, आपने गाँव में बहुत समय बिताया है, और यहाँ की हर चीज के बारे में आपकों जानकारी होगी।
हॉ वो तो है, हमारी तो पूरी जिन्दगी ही इस गाँव में गुजरी है।
तो आपके सहयोग की तो हमकों बहुत ही आवश्यकता होगी।
देखो बेटा मुझे उतने दूर से आना पड़ेगा।
माता जी आप जरूर आना और दूरी की चिंता मत करना।
अब इस उम्र में उस धार से यहाँ आना दूर तो है ही।
हम जब भी बैठक की तिथि चुनेगें आपकों पहले ही जानकारी दे देंगें और एक ऐसे स्थान का चयन करेंगें जहाँ आप आराम से आ कर बैठक में प्रतिभाग कर सके।



कहानी की मुख्य ध्यान देने योग्य बातें-

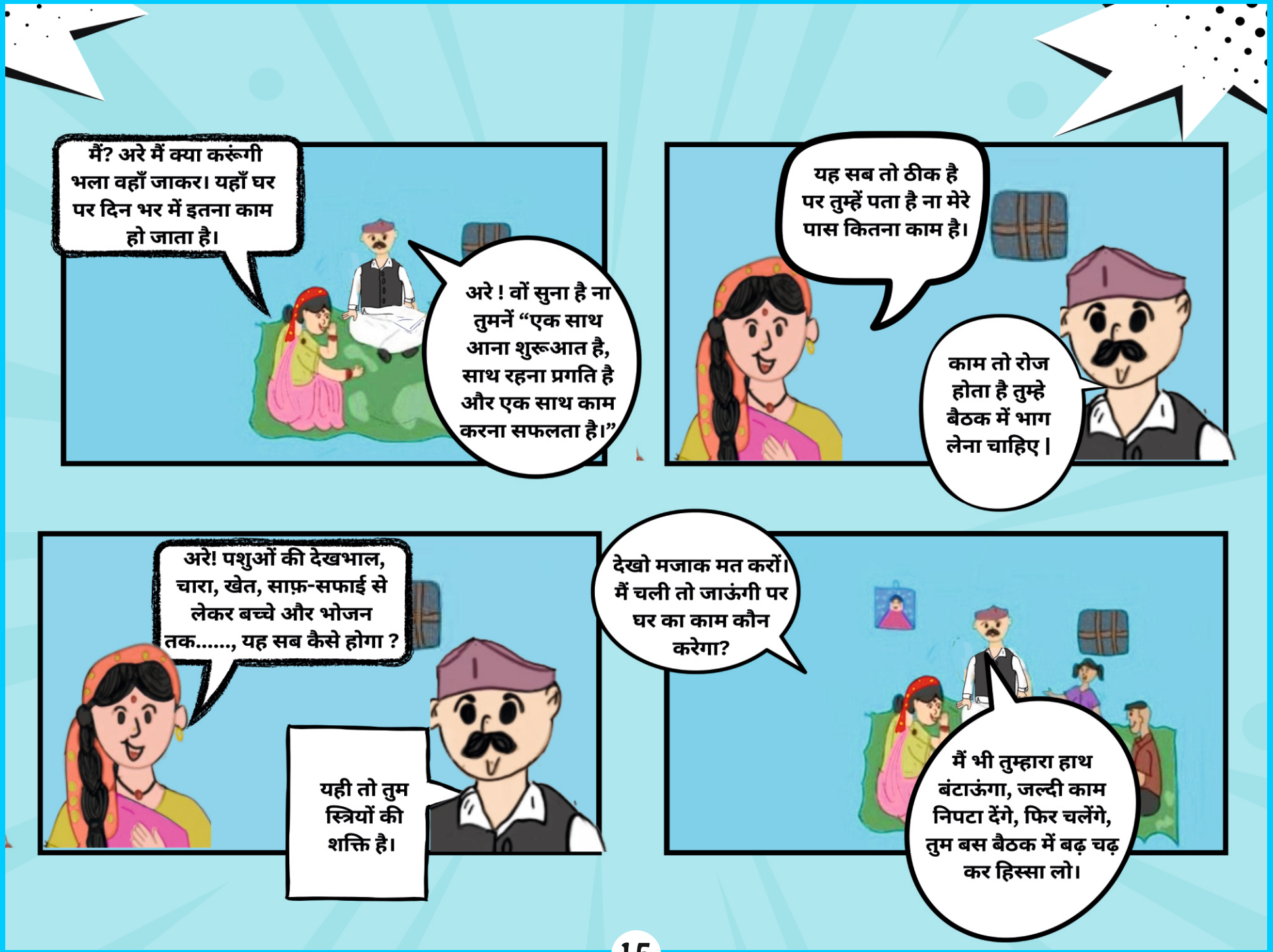
- परियोजना में ग्रामीणो का सहयोग बहुत जरूरी है। परियोजना के अंतर्गत की जा रही प्रत्येक बैठकों व गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करे।
- गाँव में परियोजना के सही ढंग से संचालन के लिए विभिन्न समितियों जैसे जल और जलागम समिति, राजस्व ग्राम समिति का गठन किया जायेगा । इस समितियों व समूहों की भूमिकाओं के बारे मे जाने व समझे व आवश्यकता पड़ने पर इनका सहयोग लें।
- यह परियोजना गाँव के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार के लिए समान रूप से उपयोगी है।
- परियोजना कार्यक्रमों में प्रत्येक वर्ग, उम्र , जाति के लोग बढ़चढ़ कर हिस्सा लें।
- परियोजना के अंतर्गत गाँव की समस्याओं व स्थिति को जानने के लिए पारिवारिक सर्वे, बैठकें की जायेगी, जिसमें कार्यकर्ताओं का सहयोग करे, सही जानकारी को उपलब्ध करायें व परियोजना का लाभ लें।
- परियोजना कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों को हर प्रकार का सहयोग दिया जायेगा किन्तु उसके लिए ग्रामीणों द्वारा सही जानकारी देना व अपनी समस्याओं को खुलकर बताना होगा, तभी सही समाधान निकल पायेगा। उदा० के लिए इस कहानी में बुजुर्ग महिला का प्रतिभाग सुनिश्चित करने के लिए कार्यकताओं द्वारा ऐसे बैठक का स्थान व समय चुना जायेगा, जो बुजुर्ग महिला व अन्य सभी लोगों की सुविधा के अनुरूप हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का प्रतिभाग सुनिश्चित किया जा सके।

जब भागीदारी होगी समान, तब होगा सबका कल्याण।

(लैंगिक समानता)

(शाम को घर आकर सुजान अपनी पत्नी कमला से अगले दिन होने वाली बैठक के बारे में बात करता है ।)




मैं? अरे मैं क्या करूंगी भला वहाँ जाकर। यहाँ घर पर दिन भर में इतना काम हो जाता है।
अरे ! वों सुना है ना तुमनें “एक साथ आना शुरूआत है, साथ रहना प्रगति है और एक साथ काम करना सफलता है।”
यह सब तो ठीक है पर तुम्हें पता है ना मेरे पास कितना काम है।
काम तो रोज होता है तुम्हे बैठक में भाग लेना चाहिए।
अरे! पशुओं की देखभाल, चारा, खेत, साफ़-सफाई से लेकर बच्चे और भोजन तक....., यह सब कैसे होगा ?
यही तो तुम स्त्रियों की शक्ति है।
देखो मजाक मत करों। मैं चली तो जाऊंगी पर घर का काम कौन करेगा?
मैं भी तुम्हारा हाथ बंटाऊंगा, जल्दी काम निपटा देंगे, फिर चलेंगे, तुम बस बैठक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो।


पर मैं वहां क्या बोलूंगी ?


क्या बोलूंगी मतलब! अरे वहां जाकर अपने मुद्दे रखना, सुना है इस परियोजना में महिलाओं के मुद्दों को भी बराबरी के साथ शामिल किया जाएगा।


ठीक है। जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी बैठक में।

(अगले दिन कमला, अन्य महिलाओं के साथ बैठक में जाने के लिए निकल पड़ती है। बैठक में ग्राम प्रधान व जलागम के कार्यकर्ताओं के साथ सुजान भी पहले से ही मौजूद है। साथ ही, पूरे गाँव से सभी लोग आये हुए है। वह भी परियोजना के बारे में सुनने के लिए बैठ जाती है।)



(ग्राम प्रधान लोगों को सम्बोधित करते हुए)



(कार्यकर्ता परियोजना के बारे में बताने के बाद)

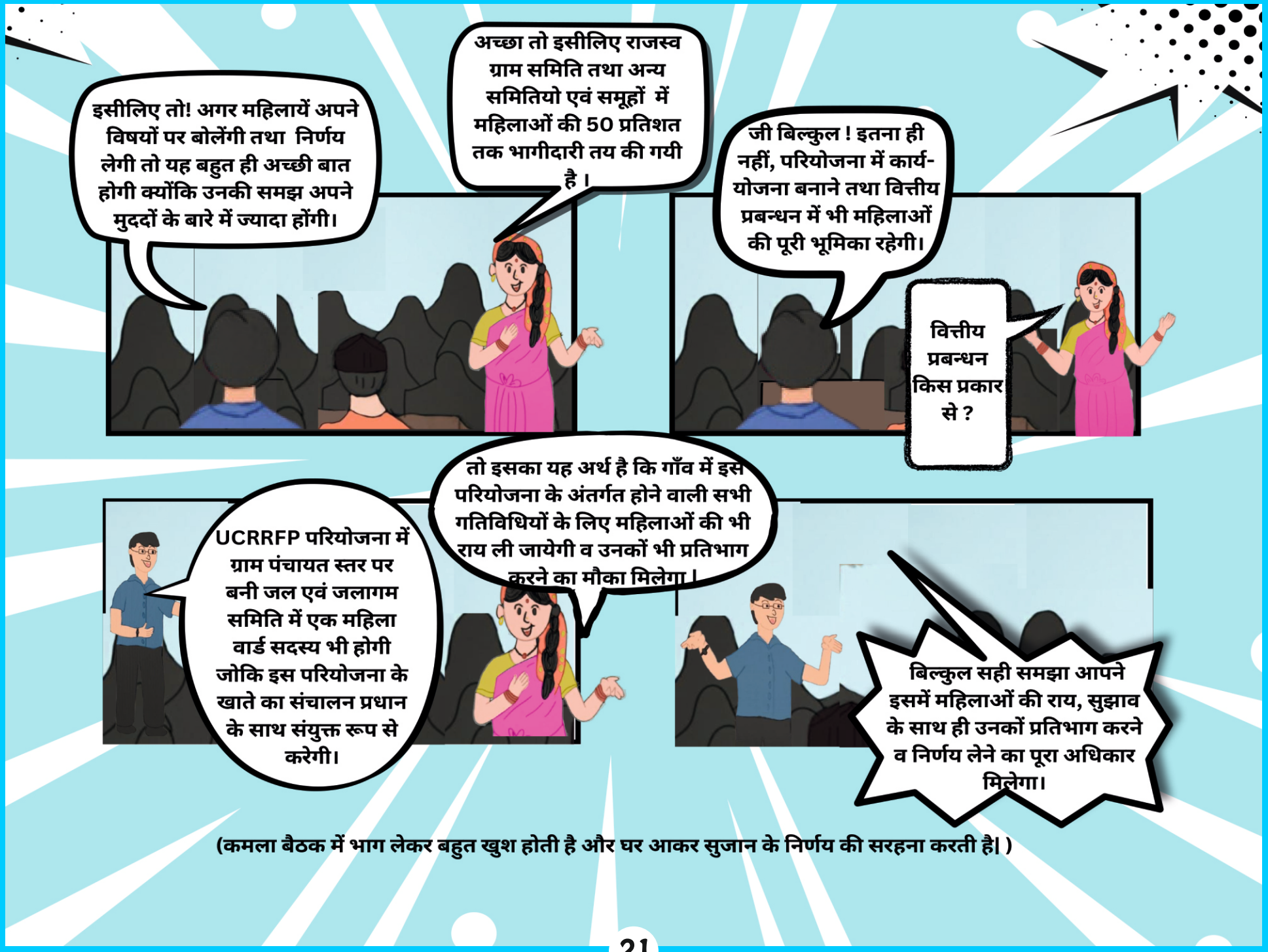


(कमला खड़े होकर पूछते हुए)






महिला प्रेरक को महत्वपूर्ण कड़ी इसीलिए कह रहे है क्योंकि यह विभाग व ग्रामीणों के बीच कड़ी का काम करती है. जैसे यदि किसी बैठक का आयोजन करना हो तो यह उस बैठक की सूचना सभी ग्रामीणों के परिवारों तक पहुँचाती है।
अच्छा। पर अन्य महिलाओं को परियोजना में कैसे शामिल करेंगे?
आप जानते हैं कि ग्राम स्तरीय योजना में आप लोग महिला आम सभा के माध्यम से अपने प्रश्न/प्रस्ताव रखेगी, इसके अतिरिक्त परियोजना के अंतर्गत बनायी गयी विभिन्न समितियों व समूहों में भी महिलाओं की 50 प्रतिशत तक सदस्यता होगी।
लेकिन सदस्यता प्रतिशत निर्धारित होने से क्या लाभ होगा ?
देखिये, खेती- बाड़ी, पशुधन की देखभाल, चारे की व्यवस्था और पानी लाने जैसे सभी कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते हैं।
हाँ ये तो है।
इसीलिए महिलाओं की समस्याएं, जिम्मेदारी तथा अन्य के मुददों को महिलायें बहुत ही अच्छे से जान पाती है
हाँ सही कहा आपने। हम महिलाओं पर सही में बहुत जिम्मेदारियाँ व कार्यभार हो जाता है।



(कमला बैठक में भाग लेकर बहुत खुश होती है और घर आकर सुजान के निर्णय की सरहना करती है|)

(शाम को सुजान चाय की दुकान पर अपने दोस्तों से बात करते हुए।)








चलों जब बीवी खुश तो घर खुशहाल।
भाई! मेरा तो मानना है कि अगर गाँव की महिलायें ही गॉव के विकास की योजनाओं में भाग नही लेंगी, तब तो हो गया गाँव का कल्याण ।
हॉ भाई महिलाओं की समस्याओं को महिलायें ही बता सकती है।
हाँ, सुना नही था तुमने, वो सुमन है ना जो! वो चारे के लिए घास लेने जंगल गयी वहाँ उसका पैर फिसला और उसे गंभीर चोट आई थी।
हाँ अब क्या करें जानवरों को खाना भी तो खिलाना है। इसलिए जाना ही पड़ता है।
अगर चारे के लिए इतनी दूर जाना ही ना पड़े तो कितना अच्छा होगा। ऐसी कई समस्याएँ है महिलाओं के साथ, जिनका समाधान वे इस परियोजना के माध्यम से कर सकती है ।
यह तो तुमने सही कहा।
भाई जी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग हो सकेगा।


बिलकुल सही कहा तुमने ।
मेरी पत्नी को ही देख लो। पढ़ लिख कर भी बस घर और खेत के कामों में अपना सारा समय निकाल देती है।


तो भाई अब और क्या करवाना चाहते हो अपनी पत्नी से।
मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी उद्यमी बनें, अपने सपने पूरे करे।



कहानी की मुख्य ध्यान देने योग्य बातें-

- महिलाओं को गाँव की विकास योजनाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
- महिलाओं को परियोजना में भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाएँ।
- परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समितियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा महिला आम सभा जैसे मंच प्रदान किये जायेगें।
- महिलायें उत्तराखण्ड राज्य के लिए एक बड़ा कार्यबल है। इसीलिए इनकी समस्याओं को सुनना व उनके सामाधानों को परियोजना में शामिल किया जाना आवश्यक है।
- प्रत्येक परिवार की महिला को बैठकों में कार्य योजना बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मुद्दों को शामिल किया जाये।
- महिला/पुरूष आपस में एक दूसरे का हाथ बटाँ कर नयी सीख लें व अपने अनुभव को एक दूसरे से बांटे ।

समृद्धि की ओर

(आर्थिक वर्गीकरण)

(अवसर और मेहनत के मेल से दूर होगी गरीबी ।)

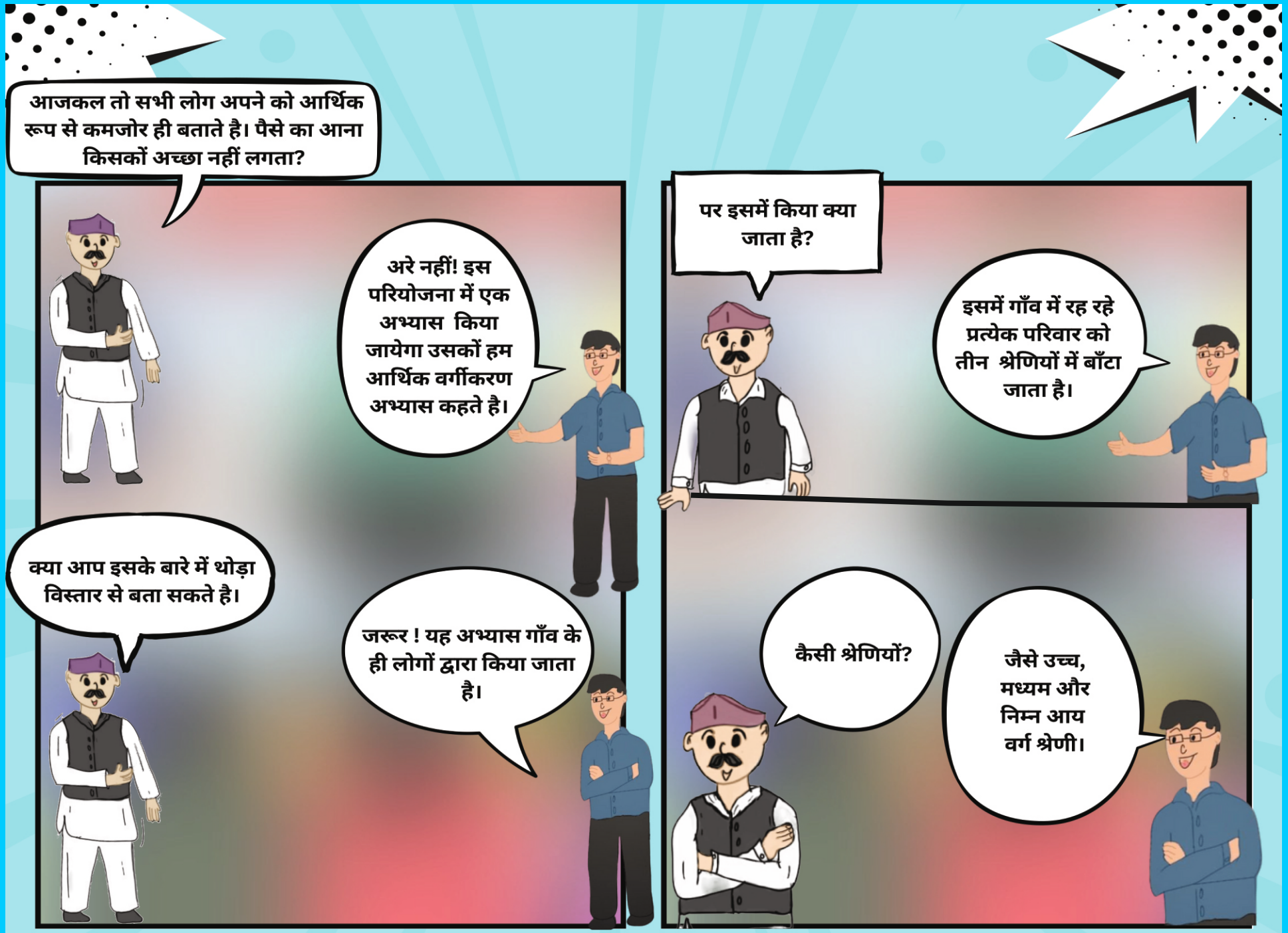
सुजान और कमला घर पर आ रही पैसों की समस्या और बढ़ते खर्चों के बारे में गंभीर बातचीत में व्यस्त है।




हाँ, यह बात तुमने अच्छी कही।
आप मालूम तो करो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए क्या प्रावधान है ?
चलों, अभी मैं यही समीप जलागम की परियोजना यूनिट आफिस जाकर परियोजना की कुछ ओर जानकारी लेकर आता हूँ।

(सुजान जलागम यूनिट आफिस पहुँच कर।)



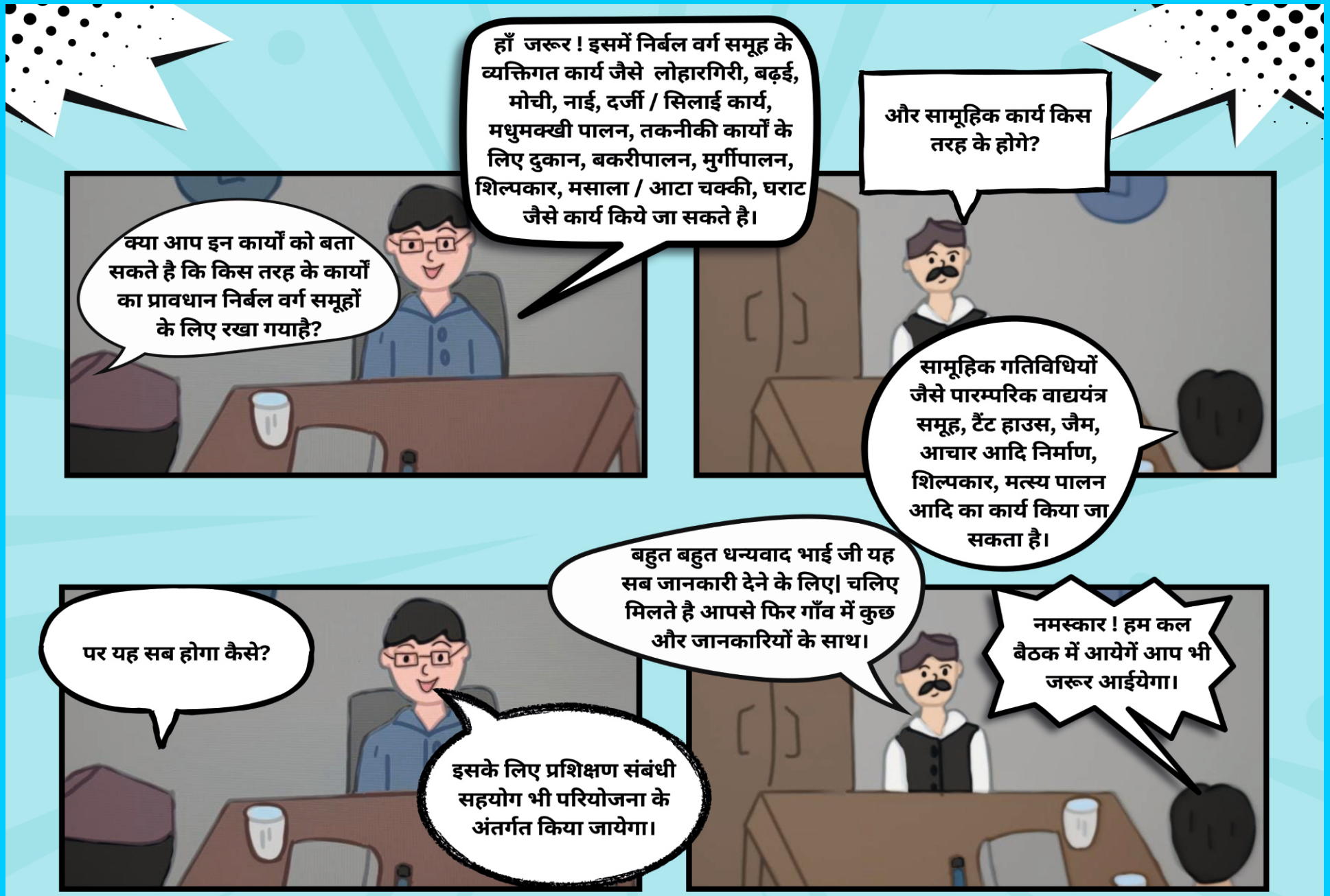

आजकल तो सभी लोग अपने को आर्थिक रूप से कमजोर ही बताते है। पैसे का आना किसकों अच्छा नहीं लगता?
अरे नहीं! इस परियोजना में एक अभ्यास किया जायेगा उसकों हम आर्थिक वर्गीकरण अभ्यास कहते है।
क्या आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते है।
जरूर ! यह अभ्यास गाँव के ही लोगों द्वारा किया जाता है।
पर इसमें किया क्या जाता है?
इसमें गाँव में रह रहे प्रत्येक परिवार को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है।
कैसी श्रेणियों?
जैसे उच्च, मध्यम और निम्न आय वर्ग श्रेणी।


और कौन परिवार किस श्रेणी में होगा यह आप लोग और प्रधान तय करेंगे?
नही सुजान! जैसा कि मैने तुम्हें पहले भी बताया कि यह अभ्यास गाँव के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उन्ही लोगों में से विभिन्न आय व सामाजिक वर्गों से चिन्हित 3-4 रिसोर्स पर्सनो द्वारा किया जाता है।
तो यह कैसे तय होगा कि किस परिवार को किस श्रेणी में रखना है?
इसके लिए प्रत्येक परिवार का एक कार्ड बनाया जायेगा, जिसे एक नम्बर दिया जायेगा।
अच्छा फिर?
फिर सभी कार्डो को परिवार की विशेषताओं के आधार पर तीन बंडलों में बॉटा जायेगा


कैसी विशेषताएँ सर जी?
उदाहरण के लिए किसी परिवार के पास अपना मकान, सरकारी नौकरी या व्यवसाय है और खेती के लिए अच्छी जमीन भी उपलब्ध है तो यह उस परिवार की विशेषता है।
तो इस परिवार को किस श्रेणी में रखा जायेगा?
इस परिवार को हम उच्च परिवार को श्रेणी में रख सकते है।
अच्छा।
और जैसे यदि किसी परिवार के पास कृषि योग्य भूमि व आय के साधन नही है तो वह निम्न श्रेणी में आ सकता है।
अच्छा तो इस प्रकार विशेषताएँ देखी जायेगी।
यह सिर्फ एक उदाहरण है, तीनो आय वर्गों में रखे जाने हेतु परिवारिक विशेषताओं के सम्बन्ध में गाँव के लोग सुझाव व निर्णय ले सकते है।


क्या आप यह विश्वास के साथ कह सकते है कि यह विशेषताएँ गाँव के लोगों के माध्यम से ही तय की जायेगी?
हॉ सुजान, बिल्कुल। क्या इसमें तुम्हे कोई शंका है?
हॉ, कहीं ऐसा तो नही होगा कि कुछ ही परिवारों को इसका लाभ मिलेगा?
घबराओं नहीं! आप सभी लोग मिलकर आर्थिक वर्गीकरण अभ्यास करेंगें और उसी के अनुसार निम्न श्रेणी परिवार चिन्हित किये जायेंगे।
जब सभी गाँव वाले मिलकर तय करेंगे तो चयन सही से होगा।
हाँ सभी मानकों को हम गाँव के प्रत्येक परिवार के साथ बैठकर ही तय करेंगे।


तो क्या हर परिवार को उसके पास उपलब्ध आय व अन्य सुविधाओं के हिसाब से जांचा जायेगा?
बिल्कुल ! तभी तो इस परियोजना से सभी को समान रूप से प्रतिभाग करने व रोजगारपरक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा।
यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप ऐसे कुछ मानकों के बारे में बता सकते है?
मानक जैसे गॉव में भूमिहीन (05 नाली से कम) भूमि वाले परिवार, सीमांत कृषकों, विधवा, विकलांग, एस०सी०/ एस०टी०, एकल महिला / व्यक्ति इत्यादि।
तो निम्न आय वर्ग के लिए किस प्रकार की गतिविधियों को आपने चुना है?
देखों सबसे पहले आर्थिक वर्गीकरण अभ्यास द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों का चयन किया जायेगा।
अच्छा फिर !
फिर, परियोजना द्वारा में निर्बल आय वर्ग के लोगों की क्षमता व रूचि के अनुसार व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियाँ की जायेंगी ।


क्या आप इन कार्यों को बता सकते है कि किस तरह के कार्यों का प्रावधान निर्बल वर्ग समूहों के लिए रखा गयाहै?
हाँ जरूर ! इसमें निर्बल वर्ग समूह के व्यक्तिगत कार्य जैसे लोहारगिरी, बढ़ई, मोची, नाई, दर्जी / सिलाई कार्य, मधुमक्खी पालन, तकनीकी कार्यों के लिए दुकान, बकरीपालन, मुर्गीपालन, शिल्पकार, मसाला / आटा चक्की, घराट जैसे कार्य किये जा सकते है।
और सामूहिक कार्य किस तरह के होगे?
सामूहिक गतिविधियों जैसे पारम्परिक वाद्ययंत्र समूह, टैंट हाउस, जैम, आचार आदि निर्माण, शिल्पकार, मत्स्य पालन आदि का कार्य किया जा सकता है।
पर यह सब होगा कैसे?
इसके लिए प्रशिक्षण संबंधी सहयोग भी परियोजना के अंतर्गत किया जायेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी यह सब जानकारी देने के लिए| चलिए मिलते है आपसे फिर गाँव में कुछ और जानकारियों के साथ।
नमस्कार ! हम कल बैठक में आयेगें आप भी जरूर आईयेगा।

(सुजान अपने घर पहुँचकर)





कहानी की मुख्य ध्यान देने योग्य बातें-

- गाँव में परिवारों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए परियोजना के अंतर्गत आर्थिक वर्गीकरण किया जायेगा।
- आर्थिक वर्गीकरण अभ्यास को गाँव के लोगों द्वारा ही किया जायेगा, जिसमें जलागम कार्याकर्ताओं की टीम द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा|
- गाँव के सभी परिवारों चाहे वह सामान्य / अनुसूचित जाति-जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / निर्बल परिवार से जुड हो, सभी वर्गों को शामिल किया जायेगा |
- आर्थिक वर्गीकरण अभ्यास के बाद निम्न वर्ग परिवारों के लिए अलग से गतिविधियों की जायेगी। जोकि व्यक्तिगत व सामूहिक तौर पर की जायेगी।
- निर्बल वर्ग के लिए तय की गई गतिविधियों के लिए संबंधित व्यक्ति व समूहों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिम्मेदारी, जवाबदेही और शिकायतें

(शिकायत प्रणाली)

(जवाबदेही वह माध्यम है जो परिणाम प्राप्ति से वचनबद्धता को जोड़ता है)

(सुजान दूर से प्रधान जी को देखकर, दौड़े-दौड़े परियोजना के बारे में जिज्ञासा लेकर उनके पास जाता है)




नही प्रधान जी, आप तो जानते ही है बस थोड़ा परेशान हूँ आजकल।
कोई बात नहीं सुजान! तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगें।
आज वैसे इतनी जल्दी में कहाँ का दौरा है?
अरें, जलागम से कुछ लोग आ रहे है पंचायत घर में उन्हीं के साथ बैठक है।
नेकी ओर पूछ पूछ , चलो सुजान।
मैं भी साथ चलूँ क्या प्रधान जी?

(प्रधान पंचायत भवन में बैठे जलागम के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए।)








बहुत बढ़िया ! अच्छा है कि आपकी पहचान हो चुकी है इनसे।
जी हॉ!


प्रधान जी ! मेरे कुछ सवाल थे?
किस संबंध में?


बस वही कि यह जो परियोजना है।
सुजान जी, इस परियोजना का नाम "उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना" है। इसे आप यू०सी०आर०आर०एफ०पी० (UCRRFP) नाम से भी जानेंगें।


अच्छा, तो यह UCRRFP परियोजना, कृषि पर आधारित है क्या?
जी हाँ! सही सुना है।


भाई जी. कृषि में तो बहुत समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है?
कैसी समस्याएँ?
बस पहले तो खेती इतनी बची नही, पानी की समस्या अलग है।
घबराओं नहीं सुजान, बारानी खेती पर आधारित इस परियोजना में ग्रामीणों की सहभागिता से 03 योजनाएँ बनाई जायेगी।

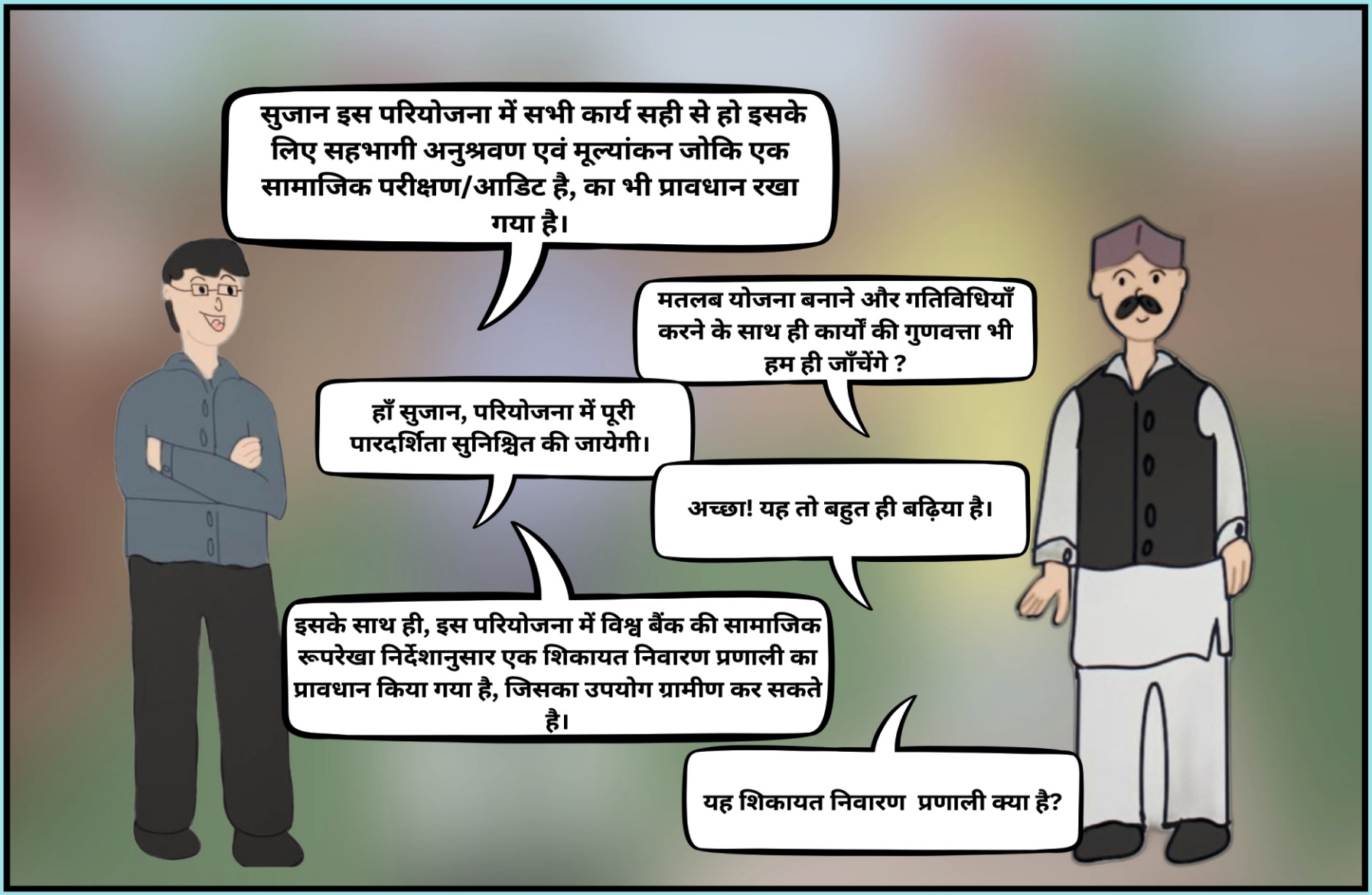

क्या आप इनके बारे में थोड़ा बता सकते है?
हाँ बिल्कुल ! देखों इस परियोजना में जो पहली योजना बनेंगी उसकों "ग्राम पंचायत रेजिलिएंट योजना (GPRP) के नाम से जाना जायेगा।
अच्छा! और इसके अंतर्गत क्या होगा?
इस योजना के अंतर्गत गाँव में सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गाँव की वास्तविक स्थिति को जानते हुए व ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए उपचार के लिए गतिविधियों की योजना तय की जायेंगी और क्रियान्वित की जायेगी|


और दूसरी योजना?
दूसरी योजना “जल संग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन योजना" जिसे "स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट प्लान" अथवा (SMP) कहा जायेगा।
अच्छा ! और इसके अंतर्गत क्या होगा?
इसके अंतर्गत गॉव में मौजूद जल स्रोतों को पुर्नजीवित करने के लिए स्रोतों के पुनर्भरण क्षेत्र(springshed) के उपचार की योजना बनायी जायेगी।
और तीसरी योजना?
तीसरी योजना “जलवायु आधारित कृषि योजना” होगी जिसे (CRFP) भी कहा जायेगा।
अच्छा! और इसमें क्या शामिल होगा?
इसके अंतर्गत बारानी कृषि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना बनायीं जायेगी।


भाई जी ये जलवायु अनुकूल कृषि क्या होती है?
देखो सुजान जैसे कि तुमने बताया कि अब खेती के लिए समय पर पानी नही मिलना, बैमौसम बारिश का होना, कभी सूखे के कारण फसलें ना बो पाना उत्पादन में कमी आना यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है।
हाँ हाँ ये तो सच है भाई जी।
इसका एक उपाय तो यह है कि अब आप ऐसी फसलों को लगायें जिसमे पानी की कम आवश्यकता पड़े, जिससे फसल को नुकसान भी नही होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा और अच्छे दाम मिल सकेंगें। इसके अलावा....


अच्छा! तो मतलब जो जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में समस्याएँ आ रही है, उनकों दूर करने के लिए उपायों को इस योजना में शामिल किया जायेगा।
अरे सुजान ! तुम तो बहुत ही समझदार हो।
जी हाँ इसमें तो कोई शक नहीं।
लेकिन सुजान इसमें कृषि ही नहीं, उद्यान, पशुपालन संबंधी गतिविधियों भी शामिल की जायेंगी।


किस प्रकार की गतिविधियाँ?
सुजान तुम यह तो चाहोगे ना कि गाँव में किसानो की आय बढ़नी चाहिए।
हाँ हाँ ! क्यूँ नहीं।
इसीलिए परियोजना द्वारा समग्र रूप से कृषि के साथ औद्यानिकी तथा पशुपालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियां भी की जायेंगी।
सुजान! सुना तुमने इस परियोजना के अंतर्गत फसलों को बाजार तक पहुंचाने से सम्बन्धित जानकारी व प्रशिक्षण भी दिये जायेगें।
प्रधान जी परियोजनायें तो आ गयी है, पर क्या वाकई इसमें सभी को बिना किसी भेद-भाव के एक समान लाभ मिल पायेंगा?
देखो सुजान! यह परियोजना भले ही जलागम विभाग द्वारा संचालित हो रही है, लेकिन इसके अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि की योजना, उसके कार्य, व्यय एवं गतिविधियों की जांच तक का कार्य ग्रामीणों के प्रतिभाग से ही किया जायेगा।
हाँ, यह तो हमें जलागम कार्यकर्ता शुरू से ही बताते आये हैं।


सुजान इस परियोजना में सभी कार्य सही से हो इसके लिए सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जोकि एक सामाजिक परीक्षण/आडिट है, का भी प्रावधान रखा गया है।
मतलब योजना बनाने और गतिविधियाँ करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता भी हम ही जाँचेंगे ?
हाँ सुजान, परियोजना में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।
अच्छा! यह तो बहुत ही बढ़िया है।
इसके साथ ही, इस परियोजना में विश्व बैंक की सामाजिक रूपरेखा निर्देशानुसार एक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग ग्रामीण कर सकते है।
यह शिकायत निवारण प्रणाली क्या है?


यह अलग-अलग स्तरों पर अपनी बात को रखने की प्रणाली है। यदि किसी भी ग्रामीण को परियोजना से सम्बन्धित किसी शिकायत का समाधान चाहिए तो वह अपने गाँव के समीप परियोजना कार्यालय/कर्मियों के पास जाकर अपनी समस्या रख सकते है तथा यदि ग्रामीण की समस्या का समाधान ना मिले तो वह अगले स्तर पर जा सकता है।
अच्छा यह भी ठीक है। लेकिन परियोजना के बाद किये गए कार्यों का क्या होगा ?
सुजान! इस परियोजना कार्यकाल में जलागम विभाग द्वारा कई प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम कियें जायेगें।
वाह!
अरे सुजान! यह गाँव हमारा है और आखिरकार करना तो सब हमने ही है।
यह तो सही बात है प्रधान जी।
यदि तुम उनको ध्यान से सुनोगे और उपायों को अपनाओगे तो तुम अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही निकाल लोगे |
मैं समझा नहीं ? खुद समाधान कैसे निकलेगा?


परियोजना कार्यों में गाँव वालों को भी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी | उपयोगकर्ता समूहों को परियोजना के अंतर्गत बनायीं गयी संरचनाओं की देखभाल करनी होगी | ग्रामीणों को गतिविधियों में अंशदान देना होगा |
अब यह कौनसी नयी बात है ?
हा हा हा! देखा था ना तुमने पिछले साल बनाये टैंकों की हालत। अरें हम जो कपड़े पहनते है उन्हें भी धोकर, प्रैस कर रखते है ताकि अगली बार उन्हें दुबारा पहन सके। ऐसा ही हमें यहाँ भी करना होगा।
हाँ भाई जी! सरकार काम तो बहुत कर रही है लेकिन बाद में उन संरचनाओं की देखभाल ना होने के कारण सब खराब हो जाता है।
हाँ सुजान। जब अगली बैठक होगी ना तो हम तुन्हें उपयोगकर्ता समूह के बारें में जानकारी देंगे। अभी देर हो गयी है। आगे फिर चर्चा करेंगे।



(दोनों मुस्कुराते हुए और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद व फिर मिलने का कहते हुए अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते है |)

कहानी में मुख्य ध्यान देने योग्य बातें

- परियोजना में शिकायत प्रणाली का निर्माण किया गया है, जोकि परियोजना में पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से निर्मित की गई है।
- परियोजना में विभिन्न समितियों व समूहों का निर्माण किया जायेगा जैसे-जल एवं जलागम समिति, राजस्व ग्राम समिति, वन पंचायत, निर्बल वर्ग समूह, उपयोगकर्ता समूह । इन सभी समितियों के अपने कार्य एवं दायित्व होंगे जैसे परियोजना में ग्रामीण भागीदारी सुनिश्चित करना, गतिविधियों का संचालन एवं मूल्यांकन।
- सहभागी मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रक्रिया के अंतर्गत एक समिति का निर्माण किया जायेगा। यह समिति परियोजना के अंतर्गत साल भर में होने वाली प्रत्येक कार्य की जांच एवं उसका मूल्यांकन करेगी। चूंकि यह समिति गाँव के ही व्यक्तियों का एक समूह होगा, इसीलिए इसकों एक सोशल आडिट प्रकिया के रूप में माना जायेगा।

जागरूकता है जरुरी!!

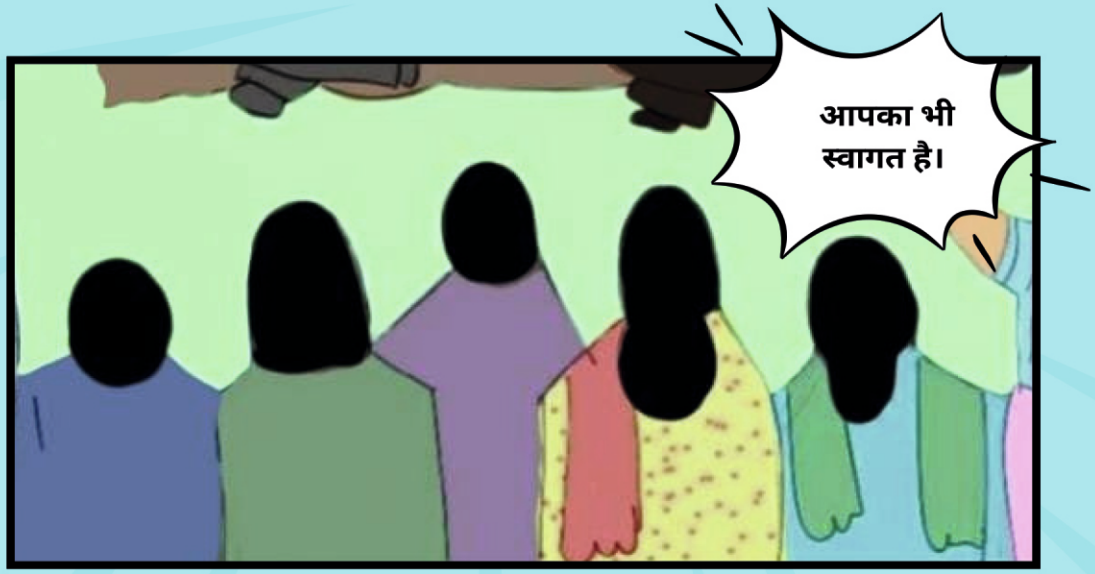
(पानी का संग्रहण और दक्षतापूर्ण उपयोग)

जीवन पानी पर निर्भर है और पानी का संरक्षण आप पर

(अगले सप्ताह जलागम कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है। इस बार भी सुजान और कमला दोनों एक साथ बैठक में जाते हैं)




आप सभी का इस बैठक में एक बार फिर से स्वागत है।


आपका भी स्वागत है।


जलागम विभाग
पिछली बैठक में जब हमने आप सभी से गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी तो आप सभी ने बताया कि गांव में अब पानी की बहुत कमी है।
हां हां, अब पानी की बहुत समस्या होने लगी है।


सिंचाई की तो छोड़िए, हमें पीने के पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अब गांव के नाले-धारे सब सूख गये हैं।
गांव के बारानी खेतों में परंपरागत रूप से जो खेती की जाती है, उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है।

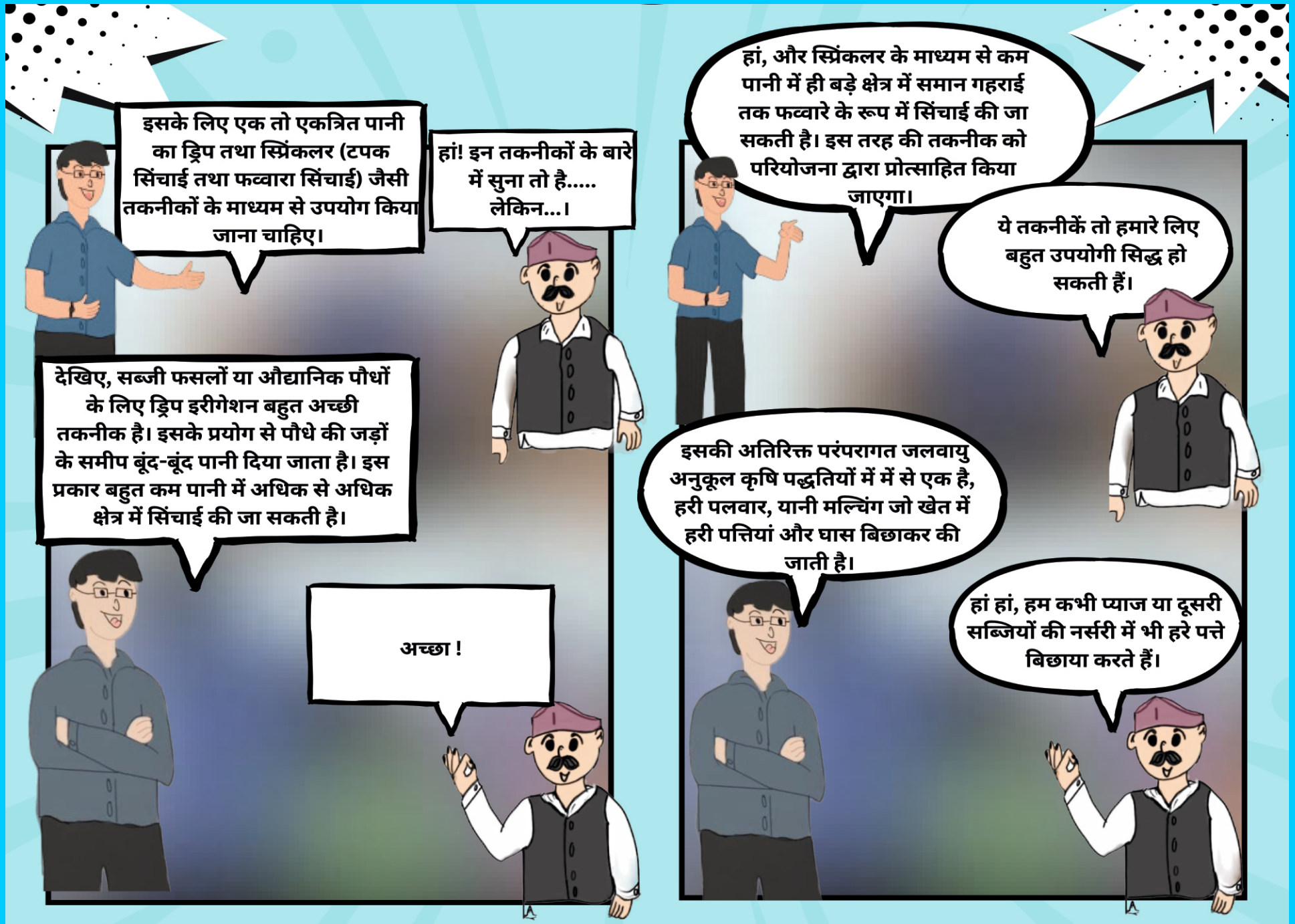

खेती-बाड़ी के लिए तो हम उतनी ही मेहनत करते हैं, स्वयं के संरक्षित किए हुए परंपरागत बीज भी बोते हैं, लेकिन क्या करें हमारे खेतों में अब नमी ही नहीं रहती है, बीज कैसे उगेंगे।

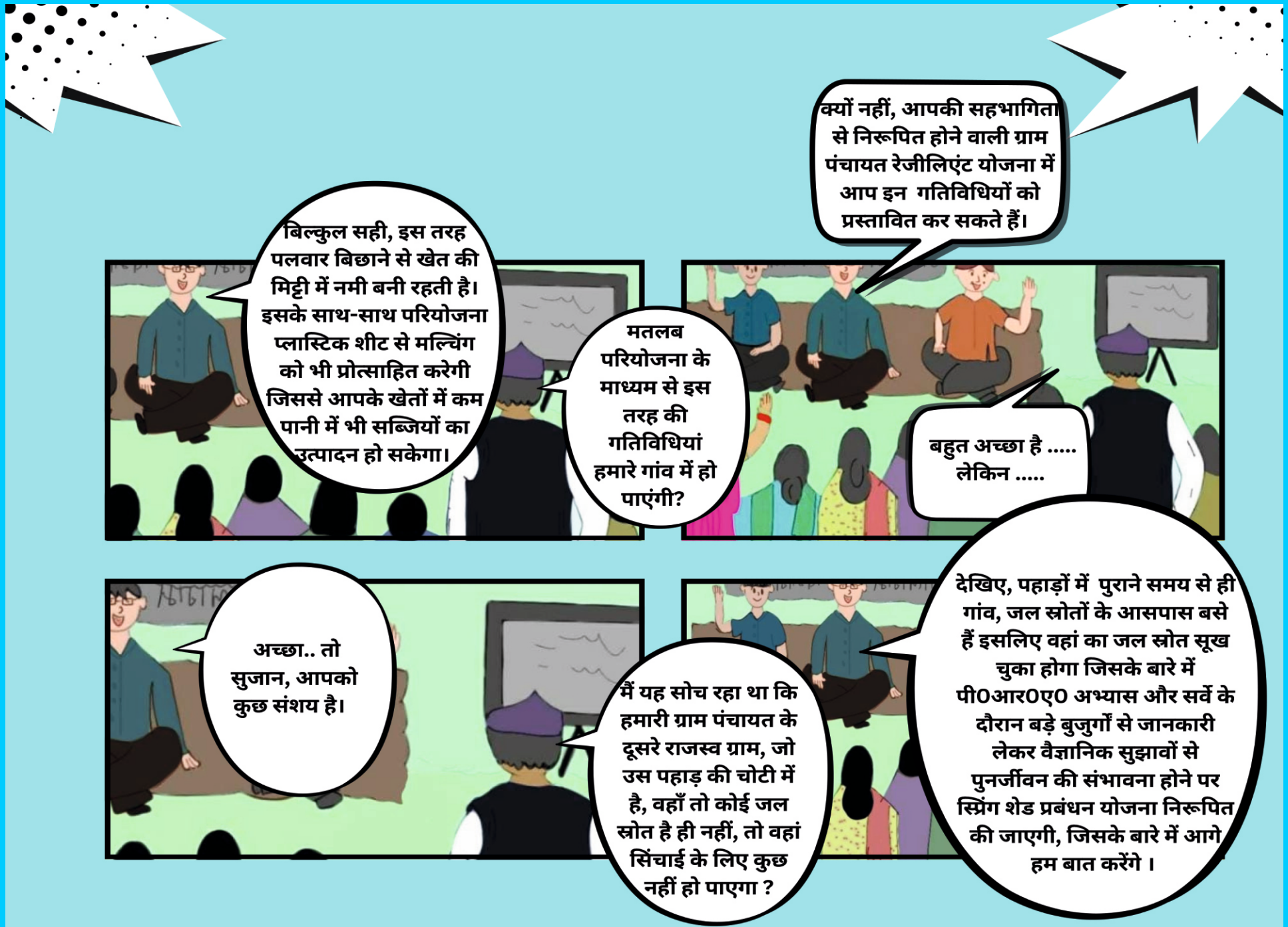

जब वर्षा होती है, तब?


अब तो बारिश भी कभी समय से नहीं होती .....
.....जब वर्षा होती भी है, तो कभी बहुत कम और कभी इतनी ज्यादा कि खेतों से मिट्टी, बीज सब बहा लेती है।
और कभी संयोग से फसल के समय ठीक-ठाक बारिश हो गई तो फसल मिल जाती होगी।
हां, वह तो है। हमारी खेती बारिश पर ही तो निर्भर है।

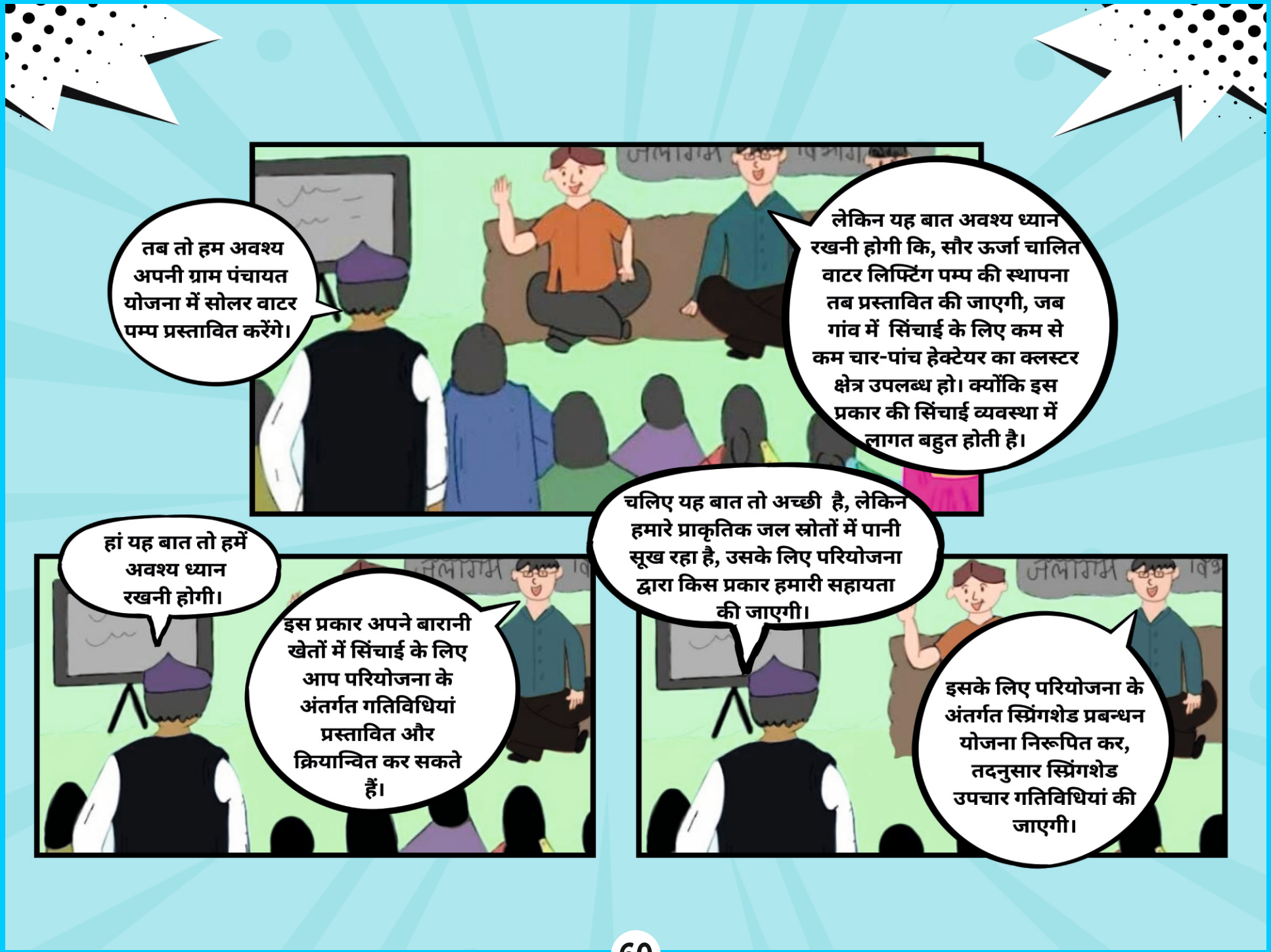

बिल्कुल सही कहा, और मौसम पर आप लोगों की इसी निर्भरता को कम करने कितना जलवायु के अनुकूल कृषि गतिविधियों की दिशा में क्या-क्या किया जाना है, इस संबंध में परियोजना आपकी सहायता और क्षमता विकास करेगी।
अच्छा! क्या-क्या करना होगा हमें?
देखिए सबसे पहली आवश्यकता है कि वर्षा के पानी का संग्रहण किया जाए, इसके लिए परियोजना की सहायता से वर्षा-जल संग्रहण टैंक तथा एल0डी0पी0ई0 टैंक जैसी संरचनायें निर्मित की जा सकती है।
और उस पानी का उपयोग हम खेतों की सिंचाई के लिए करेंगे ?
हां सही कहा। इसके अतिरिक्त सिंचाई टैंको और तालाबों में भी आसपास के जल स्रोतों, नालों या गधेरों से पानी एकत्र करके सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
लेकिन हमारे जल स्रोतों, नालों और गधेरों मैं इतना पानी है ही कहाँ।

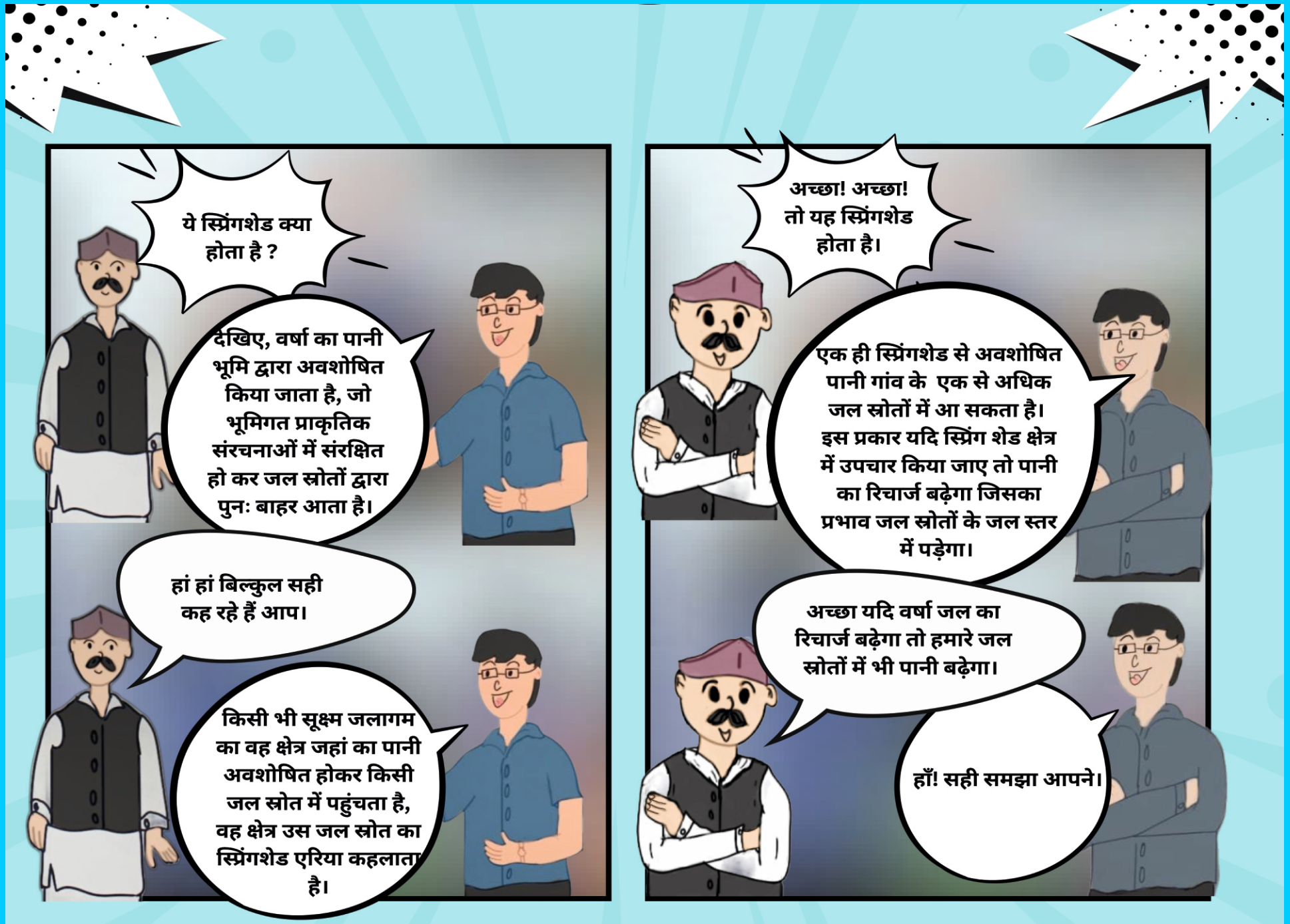

यह बात सही है, इसके लिए जल-स्रोतों के जलग्रहण क्षेत्र में उपचार गतिविधियां की जाएंगी, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, पहले हम पानी के संग्रहण और दक्षतापूर्ण उपयोग के बारे में बात करते हैं।
एक बात पूछूं आपसे?
हा हा, क्यों नहीं सुजान, आप एक नहीं, कई बातें पूछ सकते हो।
मुझे यह बात तो समझ में आयी कि संग्रहण टैंकों और विभिन्न संरचनाओं में पानी को एकत्रित करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह 'दक्षतापूर्ण उपयोग' समझूँ कैसे, मैंने तो यह शब्द सुना ही पहली बार है।
इसे लेकर परेशान ना हों, दक्षतापूर्ण उपयोग का मतलब है कि सोच समझकर, कौशल से पानी का उपयोग करना।
इससे हमें किस तरह लाभ होगा?
देखिए अभी उपलब्ध पानी से आप लोग जितनी सिंचाई करते है सोच समझ कर पानी का उपयोग करके, उससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं।
अच्छा! तो, ऐसा हम किस प्रकार कर पाएंगे?

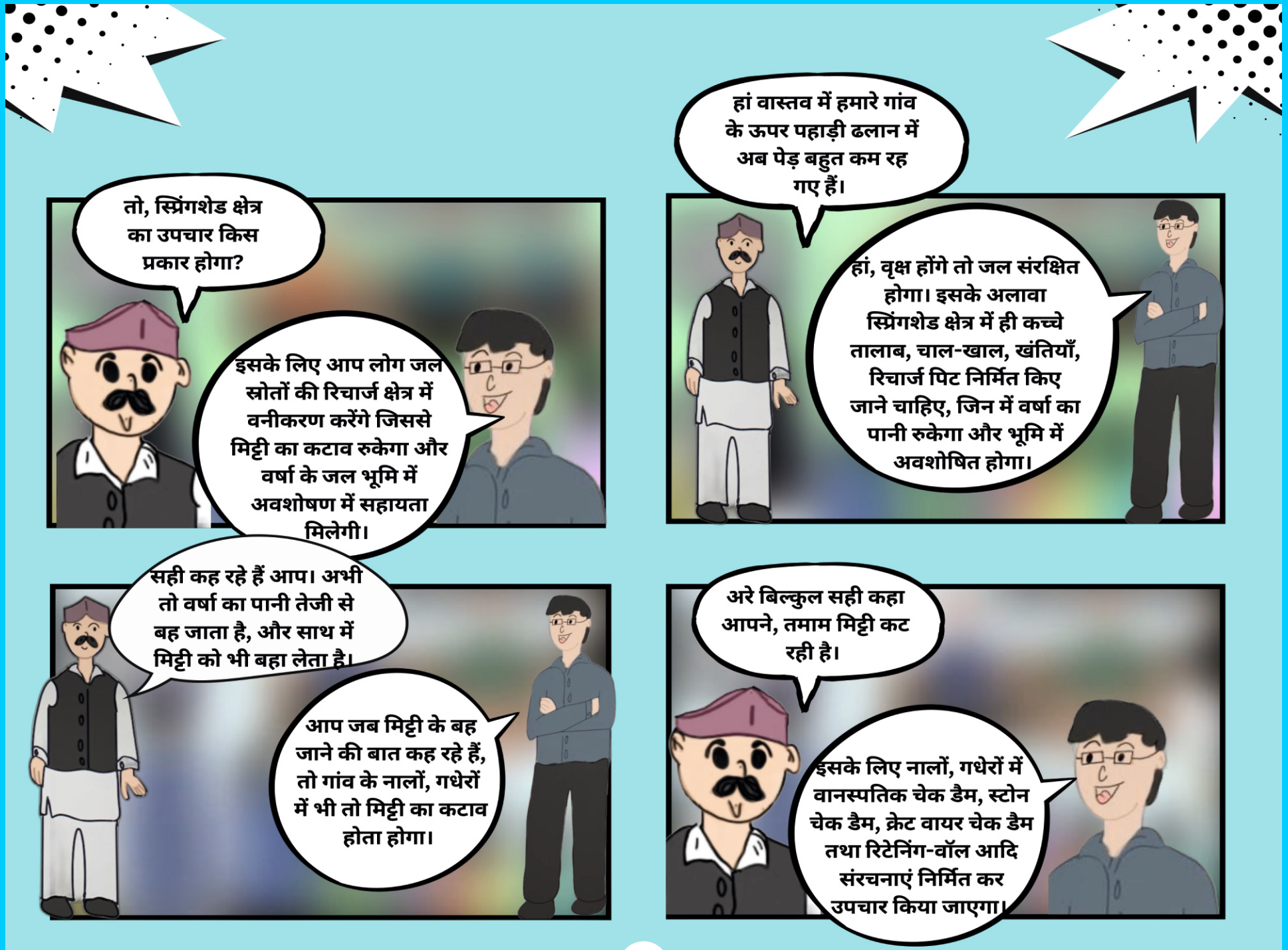

इसके लिए एक तो एकत्रित पानी का ड्रिप तथा स्प्रिंकलर (टपक सिंचाई तथा फव्वारा सिंचाई) जैसी तकनीकों के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए।
हां! इन तकनीकों के बारे में सुना तो है..... लेकिन...।
देखिए, सब्जी फसलों या औद्यानिक पौधों के लिए ड्रिप इरीगेशन बहुत अच्छी तकनीक है। इसके प्रयोग से पौधे की जड़ों के समीप बूंद-बूंद पानी दिया जाता है। इस प्रकार बहुत कम पानी में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है।
अच्छा !
हां, और स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी में ही बड़े क्षेत्र में समान गहराई तक फव्वारे के रूप में सिंचाई की जा सकती है। इस तरह की तकनीक को परियोजना द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
ये तकनीकें तो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।
इसकी अतिरिक्त परंपरागत जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों में में से एक है, हरी पलवार, यानी मल्चिंग जो खेत में हरी पत्तियां और घास बिछाकर की जाती है।
हां हां, हम कभी प्याज या दूसरी सब्जियों की नर्सरी में भी हरे पत्ते बिछाया करते हैं।


क्यों नहीं, आपकी सहभागिता से निरूपित होने वाली ग्राम पंचायत रेजीलिएंट योजना में आप इन गतिविधियों को प्रस्तावित कर सकते हैं।
बहुत अच्छा है ..... लेकिन .....
मतलब परियोजना के माध्यम से इस तरह की गतिविधियां हमारे गांव में हो पाएंगी?
बिल्कुल सही, इस तरह पलवार बिछाने से खेत की मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके साथ-साथ परियोजना प्लास्टिक शीट से मल्चिंग को भी प्रोत्साहित करेगी जिससे आपके खेतों में कम पानी में भी सब्जियों का उत्पादन हो सकेगा।
देखिए, पहाड़ों में पुराने समय से ही गांव, जल स्रोतों के आसपास बसे हैं इसलिए वहां का जल स्रोत सूख चुका होगा जिसके बारे में पी0आर0ए0 अभ्यास और सर्वे के दौरान बड़े बुजुर्गों से जानकारी लेकर वैज्ञानिक सुझावों से पुनर्जीवन की संभावना होने पर स्प्रिंग शेड प्रबंधन योजना निरूपित की जाएगी, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे ।
मैं यह सोच रहा था कि हमारी ग्राम पंचायत के दूसरे राजस्व ग्राम, जो उस पहाड़ की चोटी में है, वहाँ तो कोई जल स्रोत है ही नहीं, तो वहां सिंचाई के लिए कुछ नहीं हो पाएगा ?
अच्छा.. तो सुजान, आपको कुछ संशय है।


तो इस तरह उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा ?
इस तरह से पहाड़ की ऊंचाई में स्थित खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हेतु परियोजना के अंतर्गत, पहाड़ की तलहटी या घाटी में बहने वाले गधेरे अथवा नदी से पानी लिफ्ट करने के लिए सौर ऊर्जा चालित वाटर लिफ्टिंग पम्पों की स्थापना का प्रस्ताव किया जा सकता है।
अरे वाह! यह तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन इस तकनीक से खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा?
नदी या गधेरे से सोलर पंप द्वारा पानी लिफ्ट करके खेतों से ऊंचे किसी स्थान पर बने हुए बड़े संग्रहण टैंक में जमा किया जाएगा जहां से एच0डी0पी0ई0 पाइपलाइन के माध्यम से खेतों के समीप उचित स्थान पर बने छोटे एल0डी0पी0ई0 टैंकों में एकत्र कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है।


तब तो हम अवश्य अपनी ग्राम पंचायत योजना में सोलर वाटर पम्प प्रस्तावित करेंगे।
लेकिन यह बात अवश्य ध्यान रखनी होगी कि, सौर ऊर्जा चालित वाटर लिफ्टिंग पम्प की स्थापना तब प्रस्तावित की जाएगी, जब गांव में सिंचाई के लिए कम से कम चार-पांच हेक्टेयर का क्लस्टर क्षेत्र उपलब्ध हो। क्योंकि इस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था में लागत बहुत होती है।
हां यह बात तो हमें अवश्य ध्यान रखनी होगी।
इस प्रकार अपने बारानी खेतों में सिंचाई के लिए आप परियोजना के अंतर्गत गतिविधियां प्रस्तावित और क्रियान्वित कर सकते हैं।
चलिए यह बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी सूख रहा है, उसके लिए परियोजना द्वारा किस प्रकार हमारी सहायता की जाएगी।
इसके लिए परियोजना के अंतर्गत स्प्रिंगशेड प्रबन्धन योजना निरूपित कर, तदनुसार स्प्रिंगशेड उपचार गतिविधियां की जाएगी।


ये स्प्रिंगशेड क्या होता है ?
देखिए, वर्षा का पानी भूमि द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो भूमिगत प्राकृतिक संरचनाओं में संरक्षित हो कर जल स्रोतों द्वारा पुनः बाहर आता है।
हां हां बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
किसी भी सूक्ष्म जलागम का वह क्षेत्र जहां का पानी अवशोषित होकर किसी जल स्रोत में पहुंचता है, वह क्षेत्र उस जल स्रोत का स्प्रिंगशेड एरिया कहलाता है।
अच्छा! अच्छा! तो यह स्प्रिंगशेड होता है।
एक ही स्प्रिंगशेड से अवशोषित पानी गांव के एक से अधिक जल स्रोतों में आ सकता है। इस प्रकार यदि स्प्रिंग शेड क्षेत्र में उपचार किया जाए तो पानी का रिचार्ज बढ़ेगा जिसका प्रभाव जल स्रोतों के जल स्तर में पड़ेगा।
अच्छा यदि वर्षा जल का रिचार्ज बढ़ेगा तो हमारे जल स्रोतों में भी पानी बढ़ेगा।
हाँ! सही समझा आपने।


हां वास्तव में हमारे गांव के ऊपर पहाड़ी ढलान में अब पेड़ बहुत कम रह गए हैं।
हां, वृक्ष होंगे तो जल संरक्षित होगा। इसके अलावा स्प्रिंगशेड क्षेत्र में ही कच्चे तालाब, चाल-खाल, खंतियाँ, रिचार्ज पिट निर्मित किए जाने चाहिए, जिन में वर्षा का पानी रुकेगा और भूमि में अवशोषित होगा।
तो, स्प्रिंगशेड क्षेत्र का उपचार किस प्रकार होगा?
इसके लिए आप लोग जल स्रोतों की रिचार्ज क्षेत्र में वनीकरण करेंगे जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और वर्षा के जल भूमि में अवशोषण में सहायता मिलेगी।
अरे बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम मिट्टी कट रही है।
इसके लिए नालों, गधेरों में वानस्पतिक चेक डैम, स्टोन चेक डैम, क्रेट वायर चेक डैम तथा रिटेनिंग-वॉल आदि संरचनाएं निर्मित कर उपचार किया जाएगा।
सही कह रहे हैं आप। अभी तो वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है, और साथ में मिट्टी को भी बहा लेता है।
आप जब मिट्टी के बह जाने की बात कह रहे हैं, तो गांव के नालों, गधेरों में भी तो मिट्टी का कटाव होता होगा।


तब तो बहुत अच्छा होगा।
हाँ, इस तरह न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकेगा, बल्कि इन संरचनाओं के कारण नाले पानी रुकेगा और भूजल का स्तर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से आपके जल स्रोतों में भी पानी का उत्सर्जन बढ़ जाएगा।
अरे वाह! यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई।
अब आप अपने गांव की योजनाओं के निरूपण के संबंध में अधिकतर बातें जान चुके हैं, क्यों है ना ?
हां हां! क्यों नहीं।
अगली बैठक से हम सभी मिलजुल कर आपके गांव की 'ग्राम पंचायत रेजिलिएंट योजना' का निरूपण करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति और सहभाग आवश्यक होगा। तो आप सभी लोग बैठक आएंगे ना?



(सभी लोग हंसते हैं)

इसके बाद कार्यकर्ता और सभी ग्रामवासी अपनी 'ग्राम पंचायत रेजिलिएंट योजना' के निरूपण के लिए बैठक का दिन निर्धारित करते हैं और पुनः बैठक में उपस्थित होने के संकल्प के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते हैं।

कहानी की मुख्य ध्यान देने योग्य बातें-

1- कृषि में ड्रिप व स्प्रिंकलर उपकरणों का उपयोग करके हम फसलों को आवश्यक पानी व उचित पोषक तत्व दे सकते |

2- वर्षा के जल को एक जगह एकत्रित कर उसका भंडारण कर हम अपनी निर्भरता पीने के स्त्रोतों पर कम कर सकते है, जिससे वह पानी बचा रहे और वर्षा का जल का सही उपयोग किया जा सके।

3- फसलों में सिंचाई की योजना बनाई जानी होगी जिसमें पानी को किस समय, कितनी मात्रा में देना है, मिटटी की नमी, पौधों की स्थिति की निगरानी शामिल होगी। इससे फसलों में आवश्यकता से अधिक व कम पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है।

4- ऐसी फसलों कों चुने जिनमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती हो। जैसे धान की जगह मंडुआ इत्यादि। इन फसलों को लगाने से पानी की कमी होने से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और दूसरी ओर, जल व पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है।

5- चक्रीय चराई की सहायता से खेतों में पशुओं को योजनाबद्ध तरीके से चराई के लिए छोड़ा जाता है। जिससे पानी की बचत और खेतों को जैविक खाद मिलती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है।

6- जैविक खाद और गीली घास अर्थात मल्चिंग की मदद से भी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ खाद मिट्टी को पोषक तत्त्व देती है, वहीं दूसरी और गीली घास खेत में नमी को बनाये रखती है।

7- नवीन तकनीकियों का प्रयोग करके जिनसे जल संरक्षण, मिट्टी का कटाव कम करना व उसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सके। ऐसी तकनीकियों जो मिट्टी में नमी बनायें रखती है व सूखा पड़ने वाले स्थानों को लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है।

8- फसलों को ढककर रखें। ढकी फसलें एक सुरक्षात्मक परत देने के साथ-साथ, पानी की कमी, मिट्टी की रक्षा, कीड़े व खरपतवारों से भी सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे पुनः मिट्टी की उर्वरता व जल संरक्षण को बढ़ाया जा सकता है।

9- जैविक खेती को बढ़ावा दें। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और अन्य रसायनिक खादों पर निर्भरता को कम करता है। यह एक ही समय पर अलग-अलग फसलों को उगायें जाने की प्रकिया में मदद करता है, पोषक तत्वों में कमी व कीटों के जोखिम को कम करता है।

10- और सबसे महत्वपूर्ण बात सामुदायिक भागीदारी व स्वामित्व को अपनायें। इस प्रकार आप जल संरक्षण कर खेती में फसलों के उत्पाद को बढ़ा सकते है, जिससे आय में वृद्धि होगी और साथ ही हमारा पर्यावरण भी बचा सकते है।

जलागम प्रबंध निदेशालय
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून – 248006, उत्तराखण्ड।
फोन : 0135–2768712, 2760170
ईमेल: wmd-ua@nic.in, ucrrfpwmduk@gmail.com
वेबसाइट : www.wmduk.gov.in